प्रेषक,

गार्गी
अपर सिविल जज (जू०डि०)
फर्रूखाबाद

सेवा में,

माननीय महा निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
फर्रूखाबाद

विषय- एल०एल०एम०(विधि निष्णात) उपाधि धारक होने पर शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-201845(12/91)टी०सी दिनांकित 13.04.2018 के सम्बन्ध में तीन अग्रिम/अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरा चयन उ०प्र० न्यायिक सेवा में वर्ष 2020 में हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 390/Admn(Services)/2020 dt 18.02.2020 के अनुसार मैंने अपर सिविल जज (जू०डि०) फर्रूखाबाद के पद पर दिनांक 24.02.2020 को कार्यभार ग्रहण किया है। मेरे द्वारा नेशनल ला स्कूल आफ इण्डिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बंगलूर से वर्ष 2010 में एल०एल०एम० की उपाधि ग्रहण की गयी है, जोकि मेरे सेवा में आने से पूर्व प्राप्त की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु एल०एल०एम० उपाधि एवं अंकपत्र वर्ष 2010 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

महोदय शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12/91)टी०सी दिनांकित 13.04.2018 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारी जो सेवा में आने के पूर्व एल०एल०एम० की उपाधि रखते है, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारी जो सेवा में आने के उपरान्त एल०एल०एम० की उपाधि प्राप्त कर लेते है, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से तीन अतिरिक्त वेतन का लाभ अनुमन्य किया गया है।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में मुझे एल०एल०एम०(विधि निष्णात) उपाधि धारित होने के आधार पर उ०प्र०न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 24.02.2020 से तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये किये जाने हेतु मेरा प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कृपा करें।

सम्मान सहित,

भवदीय,
Gargi 04.03.2020
(गार्गी)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
फर्रूखाबाद

दिनांक 04.03.2020

<u>संलग्नक</u>-

1- एल०एल०एम० वर्ष 2010 के उपाधि एवं अंकपत्र की छायाप्रति
2- कार्यभार प्रमाण पत्र
3- शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12/91)टी०सी दिनांकित 13.04.2018

कार्यालय जनपद न्यायाधीश
पत्रांक 686/I दिनांक 04.03.2020
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
फर्रूखाबाद
04.03.2020